न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस
मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 259 / 2022

प्रार्थीगण :-

1. श्रीमती चंदूदेवी पत्नी मिश्रीमल
2. नेमाराम पुत्र मिश्रीमल
3. मेगाराम पुत्र मिश्रीमल
4. मांगीलाल पुत्र मिश्रीमल जाति पालीवाल निवासीयान कुडी तहसील पचपदरा।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. चुनीलाल पुत्र चेतराम
2. दिनेश पुत्र बंशीलाल
3. मेनू पुत्री पपाराम
4. पुनीदेवी पुत्री पपाराम
5. पारसमल पुत्र बंशीलाल
6. बादूदेवी पत्नी बंशीलाल
7. भंवरीदेवी पुत्री पपाराम
8. मुकेश पुत्र बंशीलाल
9. महेन्द्र पुत्र बंशीलाल
10. मांगीलाल पुत्र हरचन्द
11. रूकमोदेवी पत्नी पपाराम
12. राजूराम पुत्र हरचन्दराम
13. लक्ष्मण पुत्र तुलसाराम
14. सीमा पत्नी महेन्द्र कुमार
15. सोनाराम पुत्र पपाराम
16. हेमीदेवी पत्नी हरचन्दराम
17. महेन्द्र पुत्र ईश्वरलाल
18. सुभाष पुत्र ईश्वरलाल
19. सुरेश पुत्र ईश्वरलाल
20. इसराराम पुत्र बुधाराम जातियान पालीवाल
21. करनाराम पुत्र खीमाराम
22. नेमाराम पुत्र खीमाराम
23. भाखराराम पुत्र खीमाराम
24. मगाराम पुत्र खीमाराम
25. राजूराम पुत्र खीमाराम
26. सारा पत्नी खीमाराम
27. जीवाराम पुत्र कोलाराम जातियान कलबी चौधरी सभी निवासीयान कुडी तहसील कल्याणपुर
28. सरपंच ग्राम पंचायत कुडी प.स. कल्याणपुर
29. राजस्थान राज्य जरीये मुन्धिारक तहसीलदार कल्याणपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबदी करवाने हेतु

उपस्थित :-

1. श्री अचलाराम अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थीगण 1.14,17,19 व 20
3. विप्रार्थी संख्या -1 ता 13, 15, 16, 18 व 21 ता 29 एकपक्षीय

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

आदेश दिनांक - 30.09.2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमियां खसरा संख्या 247 रकबा 0.1214 हेक्टर, खसरा सं. 597/248 रकबा 0.0405 हेक्टर सरहद मौजा कुडी पटवार क्षेत्र कुडी तहसील कल्याणपुर में आयी हुई है । विप्रार्थी सख्या 1 ता 28 विवादित भूमि के सेढा पडोसी है। जो प्रार्थीगण की भूमि को अवैध व अनुचित तरीके से सीमा सेढो का विवाद कर जबरन दबाकर हडप करना चाहते है, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि की नेखमबंदी करवाने का निवेदन किया है ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थी संख्या – 01, 14, 17,19 व 20 के वकील को जबाब पेश हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने पर जबाब का अवसर बंद किया गया । विप्रार्थी संख्या – 1 ता 13, 15, 16, 18 व 21 ता 29 को जारी रजिस्ट्रर्ड नोटिस डाक रसीदे पेश की गई बावजूद सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गयी ।

उभय पक्षकारन के विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने दोहराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण खातेदारी खेत के सेढा पडोसी है जिनके मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसके सम्बन्ध मे हल्का पटवारी कुडी से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी में नक्शा खतौनी 2079–82, खसरा संख्या एवं जमाबंदी (प्रतिलिपि) पेश की है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने के आदेश फरमाएं। विप्रार्थी संख्या 1,14 17,19 व 20 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का विरोध किया ।

हमने विद्ववान प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी व पत्रावली एवं पत्रावली संलग्न राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया । बाद गौर प्रार्थीगण खातदेार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं पत्रावली के संलग्न सीमाज्ञान फर्द रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि का खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि का नेखमबंदी कराने का हकदार भी है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम 247 रकबा 0.1214 हेक्टर, खसरा सं. 597/248 रकबा 0.0405 हेक्टर सरहद मौजा कुडी पटवार क्षेत्र कुडी तहसील कल्याणपुर हेक्टर भूमि की नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर एक हजार रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि नेखमबंदी करने से पूर्व पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करते हुए उनकी उपस्थित में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चत कर विवादित भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावे । पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। मौका कमिश्नर शुल्क प्रार्थी के द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

आज दिनांक 30.09.2022 को आदेश लिखा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *